अध्याय 5

आंतरिक नियंत्रण

- **विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्य-विवरणों की सिफारिश करने तथा संस्थानों के बीच शिक्षण और अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक अध्ययन स्कूल बोर्ड की संरचना, तीनों विश्वविद्यालयों में से किसी में भी मानदंडों के अनुरूप नहीं थी।**
- **चयनित विश्वविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल की बैठकें निर्धारित अंतराल पर नहीं होती थीं तथा विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा और उनका अनुवर्ती कार्य अपर्याप्त था।**
- **तीनों विश्वविद्यालयों में निर्धारित अंतराल पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, जीजीएसआईपीयू में स्टॉक के भौतिक सत्यापन में प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से खरीदे गए उपकरण सम्मिलित नहीं थे और डीटीयू में गैर-उपभोज्य वस्तुओं का कोई केंद्रीकृत समेकित डाटा नहीं था।**

आंतरिक नियंत्रण वे सुरक्षा उपाय हैं जो किसी संगठन के प्रबंधन द्वारा यह आश्वासन देने के लिए लागू किए जाते हैं कि उसके कार्य योजना के अनुसार चल रहे हैं। ये उपाय यह भी सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं कि संस्था के सामान्य उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं। चयनित तीन विश्वविद्यालयों में आंतरिक नियंत्रण की कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.1 संस्थागत निकायों/आंतरिक समितियों का अभाव

विश्वविद्यालयों के कार्यों को दिशा-निर्देश देने और उनकी देखरेख के लिए शासी निकाय, अध्ययन स्कूल बोर्ड आदि जैसी कई संस्थाएं हैं। लेखापरीक्षा ने इन विश्वविद्यालयों में ऐसी संस्थाओं के गठन और कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाईं:

5.1.1 अध्ययन स्कूल बोर्ड के गठन में कमियां

जीजीएसआईपीयू के अध्यादेश 2 (मार्च 2005) के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में एक अध्ययन स्कूल बोर्ड (बीएसएस) का होना आवश्यक है जो स्कूल को सौंपे गए विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या की सिफारिश करे और शिक्षण एवं शोध कार्यों का समन्वय करे। डीटीयू के अध्यादेश 2 (फरवरी 2010) में भी इसी तरह के प्रावधान हैं और डीपीएसआरयू की संविधि और अध्यादेशों (अप्रैल 2021) के अनुसार भी अध्ययन बोर्ड (बीओएस) का गठन आवश्यक है।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान, **जीजीएसआईपीयू** के 14 विश्वविद्यालय स्कूलों में से आठ में बीएसएस में संबद्ध कॉलेजों के किसी भी शिक्षक को अपेक्षानुसार सदस्य के रूप में नहीं रखा गया था और शेष स्कूलों के मामले में यह मानदंडों के अनुसार नहीं था। बीएसएस से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को बाहर करने से उन्हें विविध परिप्रेक्ष्यों और अंतर्दृष्टि से वंचित होना पड़ा, विशेषकर उन मामलों में जहाँ कार्यक्रम विशेष रूप से संबद्ध कॉलेजों में चलाए जा रहे थे। लेखापरीक्षा में बीएसएस के दो वर्ष के कार्यकाल के बाद उनके पुनर्गठन में विलंब और/या 14 विश्वविद्यालय स्कूलों और दो उत्कृष्टता केंद्रों में संरचना के संबंध में मानदंडों का गैर-अनुपालन भी देखा गया **(अनुलग्नक 5.1)**।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कोविड-19 के प्रकोप को विलंब के लिए ज़िम्मेदार ठहराया (जनवरी 2024) और कहा कि भविष्य में अनुपालन हेतु लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है। आगे यह भी कहा गया कि प्रबंधन बोर्ड के निर्णय के अनुसार, बीएसएस में संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों को सम्मिलित करने की प्रथा बंद कर दी गई थी। यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि लेखापरीक्षा ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पहले ही बीएसएस के गठन में विलंब/गैर-गठन के मामले देखे। इसके अतिरिक्त, बीओएम को विश्वविद्यालय अध्यादेश के प्रावधानों के अधिक्रमण करने का अधिकार नहीं है।

(ii) **डीटीयू** ने अपने कुल 17 शैक्षणिक विभागों में से 12 के मामले में बीओएस के गठन से संबंधित विवरण और अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 की अवधि के दौरान, डीटीयू के पांच विभागों में बीओएस में एसोसिएट प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व मानदंडों के अनुसार नहीं था जिनके अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे। इन पांच विभागों में,

बीओएस कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और समय पर उनका पुनर्गठन नहीं किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी और पर्यावरणीय इंजीनियरी विभागों के मामले में, पिछले बीओएस का कार्यकाल समाप्त होने के बाद बीओएस के पुनर्गठन में क्रमशः 18 महीने, 12 महीने और 16 महीने का विलंब हुआ।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि कोविड-19 महामारी के कारण पांच विभागों में बीओएस के गठन में विलंब हुआ और एसोसिएट प्रोफ़ेसरों के अभाव में, बीओएस के गठन में वरिष्ठतम सहायक प्रोफ़ेसरों पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय ने अब बीओएस के गठन में परिशोधन किया है। शेष 12 विभागों में बीओएस के गठन से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने के संबंध में उत्तर में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

(iii) डीपीएसआरयू में, विश्वविद्यालय की स्थापना के छह वर्षों के महत्वपूर्ण विलंब के बाद, सितंबर 2021 में बीओएस का गठन किया गया था और उससे पहले, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था।

अपने उत्तर में, विश्वविद्यालय ने कहा कि बीओएस का गठन 2018 में हुआ था और सभी स्कूलों में शैक्षणिक निगरानी समितियां थीं। उत्तर किसी भी दस्तावेज़ी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए सत्यापन योग्य नहीं है।

इस प्रकार, स्कूलों को सौंपे गए विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या की सिफारिश करने और संस्थानों के बीच शिक्षण और शोध कार्य को समन्वित करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक बीएसएस/बीओएस का गठन तीनों विश्वविद्यालयों में नियमों के अनुसार नहीं किया गया, जिससे शैक्षणिक समुदाय के हितार्थ विचारों के समन्वय और प्रतिउर्वरण पर प्रभाव पड़ा।

5.1.3 अन्य समितियों के गठन/कार्यप्रणाली में कमियां

(i) **डीपीएसआरयू** के अध्यादेशों के अनुसार, छात्रों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से संबंधित मामलों के प्रभावी प्रशासन के लिए विभिन्न समितियों/परिषदों का गठन किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ***रैगिंग और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समितियों*** का गठन केवल जुलाई 2022 में और ***शिकायत निवारण समितियों*** का गठन केवल जून 2023 में हुआ। ***छात्र अनुशासन***

समिति का गठन अभी बाकी था और डीपीएसआरयू में सितंबर 2020 से कोई छात्र परिषद नहीं थी। विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2024) कि छात्र अनुशासन समिति का गठन शीघ्र ही किया जाएगा। विभाग ने विश्वविद्यालय के उत्तर को दोहराया (मार्च 2025)।

(ii) यूजीसी (उच्चतर शिक्षण संस्थानों-एचईआई में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम 2015 की धारा 8 के अनुसार, ***यौन उत्पीड़न की शिकायतों*** पर जांच और निर्णय की प्रक्रिया आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 130 दिनों के अंदर पूरी करना आवश्यक था। **द्वारका परिसर** में प्राप्त तीन शिकायतों में, **जीजीएसआईपीयू** ने एक मामले में कार्यवाही पूरी करने में 22 महीने, दूसरे मामले में नौ महीने से अधिक समय लिया और नवंबर 2019 में प्राप्त एक शिकायत पर कार्यवाही रोक दी गई है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय ने कार्यवाही में विलंब के लिए बड़ी संख्या में परीक्षा संबंधी मुद्दों, अंतरालों और लंबित मामलों को ज़िम्मेदार ठहराया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अगस्त 2023 में **जीजीएसआईपीयू, सूरजमल विहार परिसर** में गठित आईसीसी की अध्यक्षता प्रोफेसर के बजाय एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा की गई, जिसमें छात्रों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से केवल एक सदस्य (निर्धारित दो के प्रति) था।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

5.2 गुणवत्ता आश्वासन के लिए तंत्र

किसी भी संगठन की सभी शाखाओं के कामकाज में नियमों, विनियमों और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र उस संगठन का अभिन्न अंग होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में, गुणवत्ता आश्वासन विभिन्न शाखाओं की ***शैक्षणिक लेखापरीक्षाओं*** के साथ-साथ ***प्रशासनिक लेखापरीक्षाओं*** के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लेखापरीक्षा में तीनों विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

(i) जीजीएसआईपीयू - जीजीएसआईपीयू की संविधि 33 के अनुसार, इंद्रप्रस्थ आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आईआईक्यूएसी) नामक एक सेल की स्थापना

विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संपूर्ण दायरे में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा के लिए सभी हितधारकों को जवाबदेह बनाने के माध्यम से विश्वविद्यालय की समग्र गुणवत्ता उन्नयन की सुविधा के लिए की गई थी। संविधि 33 के खंड 2.1 में प्रावधान है कि आईआईक्यूएसी निरंतर आधार पर संरचित शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा (एएए) करेगा और इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय की समग्र गुणवत्ता को सुविधाजनक बनाएगा। मौजूदा प्रणाली को समझने और विभागों द्वारा उनकी उपलब्धियों के साथ-साथ शक्तियों, कमज़ोरियों, अवसरों और चुनौतियों का आकलन करने के लिए 2017 से प्रति वर्ष एएए आयोजित की जा रही हैं।

2018-23 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आईआईक्यूएसी द्वारा स्कूलों या उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का कवरेज विभिन्न वर्षों में अलग-अलग रहा है और 2019-20 और 2022-23 में कोई शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई। जब कि 2018-19 और 2020-21 के दौरान 14 स्कूलों/ सीओई में से क्रमशः 11 और 13 के संबंध में शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा की गई थी, 2021-22 में 16 स्कूलों/ सीओई में से केवल आठ की शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में केवल लेखापरीक्षित विश्वविद्यालय स्कूलों द्वारा जांच-सूचि के रूप में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना सम्मिलित था और देखी गई कमियों के लिए कोई लेखापरीक्षा रिपोर्ट या अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2018-23 के दौरान आवश्यक 20 बैठकों के प्रति आईआईक्यूएसी की केवल 13 बैठकें ही आयोजित की गईं।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि वर्ष 2019-21 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई थी और 2022-23 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा अभी बाकी है और शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा प्रोफार्मा को परिशोधित किया जा रहा है ताकि पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई स्पष्ट रूप से दर्शाई जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को कागज़ रहित बनाने के लिए मानकीकृत किया जा रहा है और विश्वविद्यालय में समर्थ ई-गवर्नेंस ईआरपी का कार्यान्वयन जारी है।

(ii) डीटीयू - आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आईक्यूएसी) की स्थापना दिसंबर 2015 में यूजीसी की बारहवीं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसरण में की गई

थी। तथापि, डीटीयू ने आईक्यूएसी को कम प्राथमिकता दी है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि निदेशक (आईक्यूएसी) का पद कभी भरा ही नहीं गया और यह कार्यभार हमेशा विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ संकाय सदस्य द्वारा अतिरिक्त प्रभार के आधार पर संभाला जाता रहा। इसके अतिरिक्त, निर्धारित तिमाही बैठकों के प्रति, आईक्यूएसी ने 2018-23 की पांच वर्ष की समीक्षा अवधि के दौरान केवल चार बैठकें आयोजित कीं।

डीटीयू ने 2018-23 के दौरान प्रशासनिक लेखापरीक्षा के संचालन के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि क्या ऐसी लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा दिसंबर 2023 तक नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-22 की शैक्षणिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उल्लिखित अभ्युक्तियां लगातार बनी रहीं, जो अनुवर्ती/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव का संकेत देती हैं। इसके अतिरिक्त, सिविल इंजीनियरी, डिज़ाइन, मानविकी और यांत्रिकी इंजीनियरी विभागों को ग्रेड-'बी' दिया गया, जिसका अर्थ आईक्यूएसी की ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार 'स्वीकार्य नहीं' है।

अपने उत्तर में विश्वविद्यालय ने कहा (जनवरी 2024) कि-

- भविष्य में आईक्यूएसी की और अधिक बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

- आगे के शैक्षणिक लेखापरीक्षा चक्रों में ग्रेड निश्चित रूप से बेहतर होंगे।

- आईक्यूएसी की सभी गतिविधियों को वरिष्ठ संकाय द्वारा अत्यंत सावधानी, ईमानदारी और प्रभावकारिता के साथ संभाला जाता है।

उत्तर में प्रशासनिक लेखापरीक्षा के संचालन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा की है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को अभ्युक्तियां भेज दी गई हैं।

(iii) डीपीएसआरयू - आईक्यूएसी मई 2019 में बनाया गया था, परंतु यह कार्यात्मक नहीं था और 20 अगस्त 2020 को पुनर्गठित होने के बाद ही काम करना शुरू किया। इसके बाद भी, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और विभागों की शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए

की गई थी और लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई अभिलेख में नहीं पाई गई।

विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं की नियमित शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा के अभाव तथा कमज़ोर अनुवर्ती तंत्र के कारण, इन विश्वविद्यालयों की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन शाखाओं की प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा कोई आश्वासन नहीं प्राप्त किया जा सका।

5.3 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कार्यालय स्वचालन

एक अच्छी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) किसी संगठन को सभी शाखाओं से डाटा एकत्र करके और मिलान करके और उसे सार्थक रूप में प्रस्तुत करके, उसके कार्यों से संबंधित सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगी। विश्वविद्यालयों की स्थापना और कार्यप्रणाली में देखी गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) जीजीएसआईपीयू में, आसान, सटीक और सुसंगत डाटा पुनर्प्राप्ति और निष्पादन पर वास्तविक समय रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए, उसकी विभिन्न शाखाओं के लिए ***कोई केंद्रीकृत और एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली*** नहीं थी। विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विंग डाटा प्रविष्टि से लेकर एमआईएस रिपोर्टों तक, अपने निर्धारित कार्यों के पूरे चक्र को या तो मैन्युअल रूप से या एक स्टैंड-एलोन सॉफ़्टवेयर की सहायता से पूरा कर रहे थे और पिछले वर्षों से संबंधित डाटा पुनर्प्राप्ति/सहभाजन सभी संबंधित लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू ने समर्थ एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है और शैक्षणिक, प्रशासनिक और भर्ती मॉड्यूल पूरी तरह कार्यात्मक थे, जब कि विश्वविद्यालय जनवरी 2025 से फाइल निगरानी प्रणाली और छुट्टी निगरानी मॉड्यूल के साथ लाइव होने की योजना बना रहा था।

(ii) डीटीयू ने विश्वविद्यालय के सभी कार्यों को स्वचालित करने के लिए ₹ 72 लाख की कुल लागत से **क्लाउड आधारित विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (सीयूएमएस)** लागू की और विश्वविद्यालय के सभी 18 विंग द्वारा प्रणाली के कामकाज पर संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने (अक्टूबर 2018 में) के बाद यह प्रणाली सक्रिय हो गई। तथापि, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) चरण के दौरान संतोषजनक रिपोर्टों के बावजूद, केवल परीक्षा और परिणाम विंग के मॉड्यूल का ही उपयोग किया जा रहा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि

डीटीयू के विभिन्न विंग द्वारा सीयूएमएस के संतोषजनक परिनियोजन के बारे में दी गई रिपोर्टें गलत थीं।

डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि सीयूएमएस के 4 मॉड्यूल/उप-मॉड्यूल वितरण के लिए लंबित थे और वितरित किए गए कुछ मॉड्यूल में निष्पादन संबंधी समस्याएं थीं, इसलिए उसने विक्रेता से ₹ 8.05 लाख की निष्पादन गारंटी (पी.जी.) के साथ ₹ 8 लाख रोक लिए हैं। आगे कहा गया कि डीटीयू ने सीयूएमएस ईआरपी से 'समर्थ' पोर्टल पर डाटा अंतरण पहले ही शुरू कर दिया है। तथ्य यह है कि ₹ 64 लाख (₹ 72- ₹ 8 लाख रोकी गई पीजी) खर्च करने के बाद भी वह अपने कार्यों को स्वचालित नहीं कर सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से नई समर्थ[1] ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

(iii) डीपीएसआरयू - लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-23 के दौरान, डीपीएसआरयू के विभिन्न कार्यात्मक विंग डाटा प्रविष्टि से लेकर एमआईएस रिपोर्टों तक अपने सभी निर्धारित कार्यों को या तो मैन्युअल रूप से या एक स्टैंड-एलोन सॉफ्टवेयर की सहायता से कर रहे थे और पिछले वर्षों से संबंधित डाटा पुनर्प्राप्ति/सहभाजन सभी संबंधित लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

अक्टूबर 2022 में, डीपीएसआरयू ने एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (आईयूएमएस) के विकास और कार्यान्वयन के लिए निविदाएं जारी कीं, जिसके प्रति उसे दो बोलियां प्राप्त हुईं। एक बोलीदाता ने प्रति छात्र दर और दूसरे ने पूरी परियोजना के लिए ₹ 30.39 लाख की बोली लगाई। डीपीएसआरयू ने पहले बोलीदाता को संविदा दे दी, यद्यपि निविदा स्वीकार करते समय, बोलीदाता ने ₹ 37.48 लाख (2,500 छात्रों के लिए) का उल्लेख किया था, जिसके परिणामस्वरूप काम उच्चतर लागत पर दिया गया।

आरएफपी के खंड 6.4 के अनुसार, विक्रेता को विश्वविद्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, परंतु अभिलेख में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, कार्यान्वयन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आईयूएमएस का कार्यान्वयन दिसंबर 2023 तक तीसरे चरण में होना चाहिए था। तथापि, दिसंबर 2023 तक कार्यान्वयन प्रक्रिया केवल पहले चरण में ही थी। विक्रेता, उपयोगकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण और ऑनलाइन सहायता पृष्ठ और आईयूएमएस

[1] "समर्थ" भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। 2019 में शुरू की गई इस पहल के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को एक पूर्णतः प्रबंधित, क्लाउड-आधारित, व्यापक ईआरपी प्रदान किया जाता है, जो देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए विशेष रूप से निर्मित है।

के समुचित संचालन के लिए ऑन-साइट संसाधन परिनियोजन योजना प्रदान करने में भी विफल रहा, जैसा कि आरएफपी के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय विक्रेता के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और भुगतान विक्रेता के कार्य-निष्पादन के आधार पर ही जारी किया जाएगा।

इस प्रकार, कार्यशील प्रबंधन सूचना प्रणालियों के अभाव में, ये विश्वविद्यालय अपने मामलों को अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित रह गए।

5.4 अध्यादेशों/संविधियों में किए गए संशोधनों को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया

डीटीयू द्वारा अब तक बनाई गई छह संविधियों और सात अध्यादेशों में से, शिक्षकों/शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा की शर्तें और निबंधन और उनकी वरिष्ठता, 2019 के दौरान बनाई गई तीन संविधियों को दिसंबर 2023 तक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाना बाकी था। अधिसूचना का अभाव संशोधनों की प्रवर्तनीयता को प्रभावित करता है, यदि कभी न्यायालय में कोई मुद्दा उठता है और इस प्रकार यह एक गंभीर प्रशासनिक चूक है। अपने उत्तर में, डीटीयू ने कहा (मार्च 2024) कि डीटीटीई से प्राप्त नूतन निर्देशों पर, उसने इन संविधियों को यूजीसी, एआईसीटीई और डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुरूप रखने के लिए उन्हें संशोधित करने हेतु एक समिति का गठन किया है। विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीटीयू से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिसूचना के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंज़ूरी ली जाएगी।

5.5 स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2017 के नियम 213 में अचल संपत्तियों और उपभोज्य वस्तुओं एवं सामग्रियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन या तो जीएफआर के प्रावधान के अनुसार नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था या फिर परिणामों का उचित विश्लेषण नहीं किया जा रहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीदी गई सभी वस्तुएं इन विश्वविद्यालयों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) जीजीएसआईपीयू में, वर्ष 2022-23 के लिए गैर-उपभोज्य स्टॉक का भौतिक सत्यापन जनवरी 2024 तक नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि पिछले

वर्षों के सत्यापन का परिणाम संबंधित रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, जैसा कि जीएफआर 2017 के नियम 213 के अंतर्गत अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, 2018-23 की अवधि के दौरान मौलिक अनुसंधान अनुदान योजना (एफआरजीएस) और प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली निधियों से खरीदी गई ₹ 4.38 करोड़ की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नहीं किया गया था।

अपने उत्तर में, जीजीएसआईपीयू ने कहा (जनवरी 2024) कि 2022-23 के लिए गैर-उपभोज्य स्टॉक का भौतिक सत्यापन प्रक्रियाधीन है और वार्षिक भौतिक निरीक्षण में एफआरजीएस और प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली निधियों से खरीदी गई परिसंपत्तियों को सम्मिलित करने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि जीजीएसआईपीयू नियमित रूप से उपभोज्य और गैर-उपभोज्य स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रहा है और वर्ष 2023-24 के लिए यह कार्य प्रगति पर है।

(ii) डीटीयू में, यद्यपि सभी गैर-उपभोज्य वस्तुओं की खरीद भंडार एवं क्रय (एस एंड पी) विंग द्वारा केंद्रीय रूप से की जाती है, इन वस्तुओं के स्टॉक रजिस्टर उस विभाग द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं जिसे ये जारी किए गए हैं। विभाग-वार स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी इस उद्देश्य के लिए गठित टीमों द्वारा किया गया था। सत्यापन जीएफआर के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक के बजाय द्विवार्षिक रूप से किया जा रहा था। यद्यपि, सितंबर 2019 और नवंबर 2021 में सत्यापन किया गया था, डीटीयू यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था कि खरीदी गई सभी वस्तुओं का हिसाब रखा गया था क्योंकि एस एंड पी विंग द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर कोई समेकित डाटा नहीं रखा जा रहा था और रिपोर्ट को केवल अभिलेख में रखा जा रहा था।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि 2021-23 के लिए भौतिक सत्यापन डीटीयू में प्रक्रियाधीन है और अप्रैल 2023 से विश्वविद्यालय द्विवार्षिक के स्थान पर वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन करेगा।

(iii) डीपीएसआरयू ने वर्ष 2018-19, 2020-21 और 2021-22 के दौरान गैर-उपभोज्य वस्तुओं और अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया, जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित है।

विभाग ने कहा (मार्च 2025) कि डीपीएसआरयू ने कोविड-19 की स्थिति के कारण 2020-22 के दौरान स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं किया और 2022-23 से भौतिक सत्यापन किया है।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य नियंत्रण और संतुलन के अभाव में, इन विश्वविद्यालयों की आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणालियां इतनी मज़बूत नहीं थीं कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय उतने प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, जितना उन्हें करना चाहिए।

सिफारिश 8: विश्वविद्यालयों को विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों में कमज़ोरियों को कम करने के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखापरीक्षा करनी चाहिए।

नई दिल्ली **(अमन दीप चट्ठा)**

दिनांक: 04 दिसम्बर 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 08 दिसम्बर 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**